सं० श्र–4615 /36-श्रम-1989

प्रेषक,

श्री आर० एन० वार्ष्णेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उ०प्र०,
कानपुर।

श्रम अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 1989

विषय:- औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के जलकर तथा विद्युत कर का भुगतान श्रम विभाग द्वारा किए जाने के स्थान पर अध्यासियों द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 30 नवम्बर, 1988 को हुई लोक लेखा समिति की बैठक जिसमें आपने भी भाग लिया था, में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ था कि श्रम विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के जलकर/चार्जेज तथा विद्युतकर/चार्जेज का भुगतान विभाग द्वारा करने के बजाय अध्यासियों द्वारा सीधे जल संस्थान तथा विद्युत विभाग आदि को किये जाने की व्यवस्था की जाय। कदाचित विधिक दृष्टिकोण से भी तथा जल संस्थान/नगर विकास विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों के अंतर्गत जलकर के भुगतान का उत्तरदायित्व अब भवन स्वामी का न होकर अध्यासी का है।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में वांछित निर्देश जारी करने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था अपने स्तर से तुरन्त सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रश्नगत मद हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3. कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० एन० वार्ष्णेय)
संयुक्त सचिव।